न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूडकी, जिला हरिद्वार।

उपस्थित अधिवक्ताः–
अभियुक्त की ओर सेः– श्री तौकीर आलम, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर सेः– श्री राजीव कुमार अग्रवाल, नामिका सहायक अभियोजन अधिकारी।

–ःआदेशः–

दिनांक 11.10.2022–

अभियुक्त शाहिद उर्फ बंगाली पुत्र फ्य्याज की ओर से मु0अ0सं0 737/2022, धारा 25/4 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली गंगनहर रूड़की, जिला हरिद्वार के मामले में विद्वान अधिवक्ता श्री तौकीर आलम द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया कि अभियुक्त बिल्कुल बेकसूर व बेगुनाह है। अभियुक्त को मुकदमें में झूठा एवं रंजिशन फसाया है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त से जो चाकू की बरामदगी दर्शायी गयी है वह सरासर गलत एवं फर्जी है। बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त स्थायी निवासी है, जिसक फरार होने का अंदेशा नहीं है। अभियुक्त दिनांक 11.09.2022 से जेल में बन्द है। अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर आख्या दी गयी है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं संज्ञेय प्रकृति का है। अतः जमानत का घोर विरोध किया जाता है।

अभियोजन की ओर से नामिका विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव कुमार अग्रवाल एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री तौकीर आलम को सुना एवं प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त मामले में अभियुक्त शाहिद उर्फ बंगाली पर दिनांक 11.09.2022 को समय 22:10 बजे, स्थान इब्राहिमपुर आम के बाग वाले रास्ते पर, अभियुक्त के कब्जे से एक अदद छुरा नाजायज बरामद हुए होने का अभियोग है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दिनांक 11.09.2022 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त को उसके द्वारा मुब0 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत

बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाता है।

(त्रिचा रावत)
अपर वरिष्ठ सिविल जज/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रूड़की।